P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-2* October- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

बालिका भ्रूण वध और असन्तुलित सामाजिक व्यवस्था

अरविन्द कुमार वर्मा
व्याख्याता,
समाजशास्त्र विभाग,
राजकीय कन्या महाविद्यलय,
सीकर, राजस्थान

सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, शान्ति, शक्ति, ज्ञान व सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है वैदिक युग मे उसका समाज में पूजनीय स्थान था, महिला–पुरूष समानता पर बल दिया जाता था।उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की उच्च सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, उन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित किया जाने लगा। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ने लगा। धीरे–धीरे अन्य कालों में भी यह और इनके साथ–साथ बालिका वध जैसी समस्या ने पांव पसारे हैं। आज बालिका वध का नवीनतम तरीका भ्रूण में उसकी पहचान कर वध करने के रूप में दिखलाई देता है। इस शोध पत्र में द्वितीयक एवं अनुभवमूलक तथ्यों, विचार गोष्ठियों, सेमिनारों के विचारों को प्रयुक्त कर बालिका वध क्या है, इसके कारण, परिणाम, सुझाव एवं पुरातन किए गये अध्ययनों के सारांश के आधार पर अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द : समतामूलक प्रस्थिति, पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, पितृमार्गी और पितृवंशीय, सती–प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज, बालिका वध, बालिका भ्रूण वध, लिंग–भेद, यौन परक उत्पादकता, पिण्डदान एवं तर्पण।

प्रस्तावना

महिला मनुष्य जाति में आलौकिक शक्ति ईश्वर की अनमोल कृति है जिसका समाज निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, शान्ति, शक्ति, ज्ञान व सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है जोमां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के सन्दर्भ में दिखलाई देती है। प्रागेतिहासिक काल में वैदिक युग गृह का अस्तित्व महिला के अस्तित्व में निहित माना जाता था। महिला का समाज में पूजनीय स्थान था। इस युग में स्त्रियाँ अधिकार सम्पन्न थी, महिला–पुरूष समानता पर बल दिया जाता था, पुत्री को भी पुत्रवत समतामूलक प्रस्थिति, प्रेम, स्नेह एवं आदर प्राप्त था।इस युग में महिलाएं पर्दा–प्रथा के चगुंल से मुक्त थी। महिलाएं पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती थी। अल्तेकर, ए.एस. के अनुसार ''नारी धर्म के मार्ग में बाधक नहीं थी। धार्मिक संस्कारों एवं उत्सवों में पत्नी की उपस्थिति एवं सहयोग वांछनीय माना जाता था।''[1]वैदिक युग पश्चात समाज उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करता है।इस युग में वैदिक युग की अपेक्षा स्त्रियों की उच्च सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन दिखाई देनेलगे थे। समाज उत्तर वैदिक काल से मध्यकाल की ओर अग्रसर होता है। मध्यकाल परिवर्तन का वह काल था जिसमें महिलाओं की प्रस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, उन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित था पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का समाज में प्रचलन बढ़ने लगा।समय में परिवर्तन के साथ–साथ धीरे–धीरे महिलाओं की स्वतन्त्रता और अधिकारों में भी परिवर्तन आया और वह अधिकारों से परिपूर्ण स्वतन्त्र स्त्री मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गई। समाज में सामाजिक सत्ता का हस्तान्तरण पिता से पुत्र को होने लगा। समाज में परिवार पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, पितृमार्गी और पितृवंशीय होने लगे एवं अनेक कुप्रथाओं जैसे सती–प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज आदि का अत्यधिक मात्रा में प्रचलन बढ़ने लगा। स्त्रियां समाज में बोझा समझी जाने लगी, इस कारण समाज में बालिका वध जैसी कुप्रथा का जन्म हुआ।

राजस्थान में कन्या को हीबर, बीसप''गड्डे में या दूध भरे बर्तन में डुबोकर मारना''[2], पलंग के पाये के नीचे दबाना,अफीम या भांग खिलाना, गला दबाना, आक का विषैला दूध पिलाना, सूखे कुओं में फेंककर मारना, रेत के टीलों में दबाकर मारना, जैसी घृणित एवं विकृत परम्पराएं दिखाई देने लगी परन्तु आज के समय उनसे भी विकृत स्थिति बालिका वध के रूप में दिखाई देती हैं।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-2* October- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की प्रस्थिति को जानना।
2. सामाजिक कुप्रथाओं के बारे मे जानकारी प्रदान करना।
3. कन्या वध व कन्या भ्रूण हत्या के सन्दर्भ में समाज का ध्यान आकर्षित करना हैं।
4. बालिका भ्रूण वध के आंकड़ों पर दृष्टि डालना।
5. बालिका भ्रूण वध के सम्भावित परिणामों जैसे असन्तुलित लिंगानुपात, महिलाओं के विरूध अपराध आदि को समाज की नजर में लाना।
6. सुझावों के माध्यम से महिला प्रस्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयत्न ।

साहित्यावलोकन

सिंह,वी.एन एवं सिंह,जनमेजय, ''प्रस्तुत पुस्तक में परम्परागत सामाजिक समस्याओं एवं विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में लेखक ने कन्या वध एवं कन्या भ्रूण वध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण तथा इससे उतपन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया।''[3]

वर्मा, भावना एवं दीक्षित,ध्रुव कुमार, ''इस पुस्तक में लेखक ने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के परम्परागत काल से वर्तमान तक का विवेचन किया है। यह हिंसा कहीं न कहीं कन्या वध की आधारशिला तैयार करती है।''[4]

जैन, अरविन्द,''यह पुस्तक अनादिकाल से अपनी अस्मिता व अस्तित्व की खोज कर रही महिला के साहित्यिक व सामाजिक चित्रण को प्रस्तुत करती है।''[5]

बालिका वध एवं बालिका भ्रूण वध

आधुनिक काल में कन्या वध का विकृत स्वरूप बालिका भ्रूण वध ने ले लिया है। वर्तमान के इस वैज्ञानिक युग में बढ़ती शिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति की पोषक नवीन तकनीकों अल्ट्रासोनोग्राफी, एम्नियोसेंटेसिस आदि के विकास के कारण लड़कियों का जन्म के पूर्व गर्भ में परीक्षण कर हत्या की जाती है, जिसे बालिका भ्रूण वध कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर बहुत दुःख की बात है कि पूर्ववर्ती समाज में जहां बालिका वध कुछ वर्गों तक ही सीमित था, परन्तु आज के इस पढ़े–लिखे समाज में बालिका वध के साथ–साथ बालिका भ्रूण वध समाज के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिसके कारण इसकी संख्या में वृद्धि हुई जिसका साक्षात उदाहरण अग्रलिखित सारणियों में देखा जा सकता है।

तालिका–1

2010 से 2015 के बीच भारत व राजस्थान मेंबालिका वध

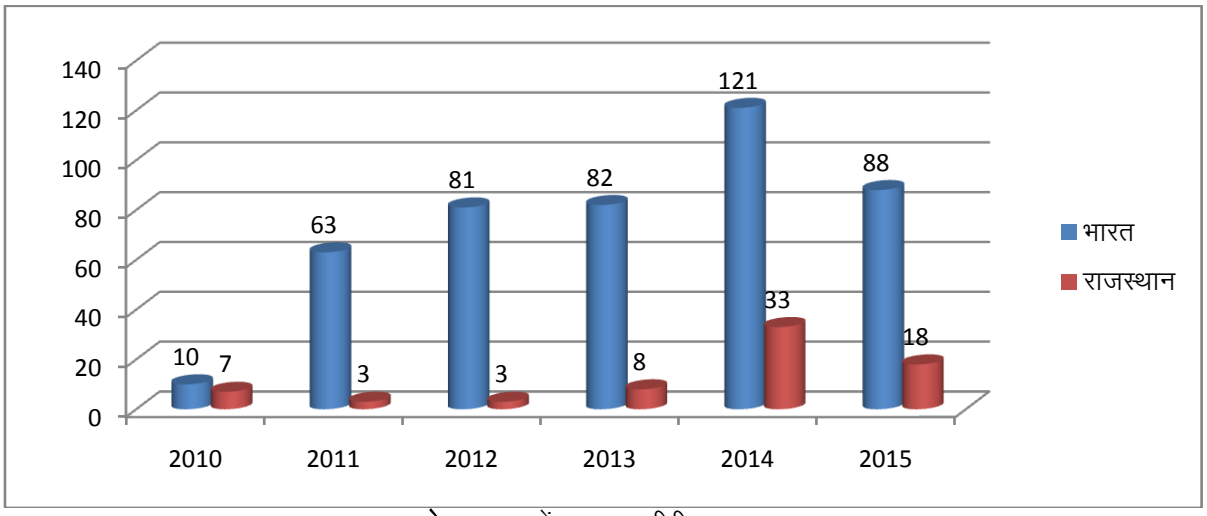

स्रोत–भारत में अपराध सीरीज 1994–2015

उपर्युक्त सारणी के अनुसार देखा जाए तो 2010 से 2015 तक भारत में कुल 445 बालिकाओं का वध किया गया है तथा अकेले राजस्थान में इस दौरान 72 बालिकाओं का वध किया गया है। जो इस भयावह स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार आगे की सारणी में कुछ अन्य तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-2* October- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका–2

2010–2015 के मध्यभारत व राजस्थान में बालिका भ्रूण वध

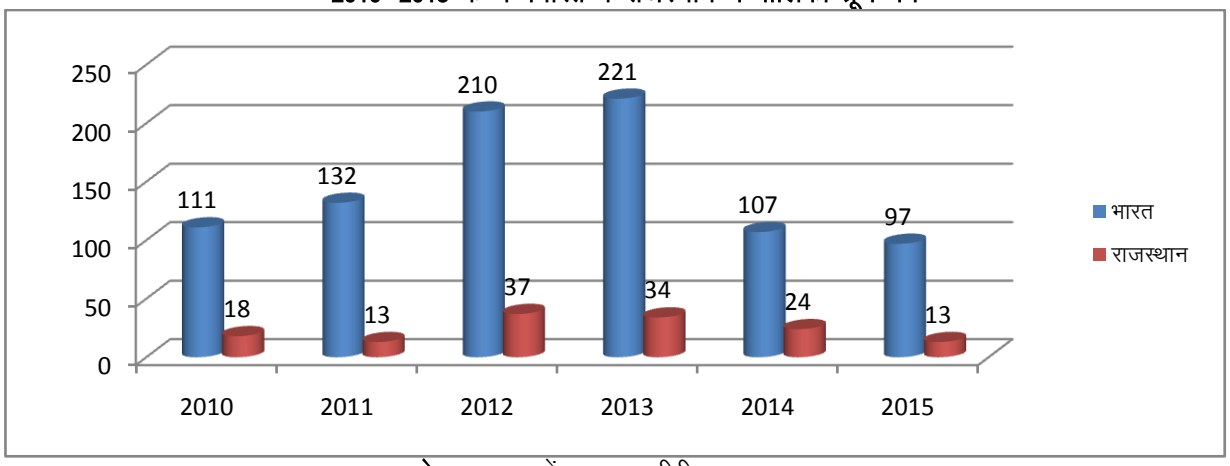

स्रोत– भारत में अपराध सीरीज 2001–2015

भारत में अपराध सीरिज 1994–2015 एवं 2001–2015 के उपर्युक्त आंकड़े तो मात्र सेम्पल हैं, इसके पर्दे के पीछे की स्थिति तो और भी डरावनी हो सकती है। राजस्थान जनगणना, 2011 के अनुसार अकेले ''राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य 0–10 वर्ष की 504444 लइकियां गायब हैं''[6] जिसका मूल कारण सुनियोजित लिंग–भेद है।

भारतीय साजिक व्यवस्था में हम चाहे कितनी ही बड़ी–बड़ी डींगें हाकते हो कि हम महिला स्वतन्त्रता एवं समानता के लिए प्रतिबद्ध एव कृत संकल्पित हैं, हम चाहे यह कहते रहें कि महिलाएं यहां कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती हैं परन्तु फिर भी हम किसी न किसी रूप महिला पुरूष में भेद करतें हैं तथा महिलाओं को दौयम दर्जे का मानते हुए बालिका वध या बालिका भ्रूण वध को भी अन्जाम देते हैं।

बालिका वध के कारण

पितृसत्ता

इस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरूष सदैव महिला पर हावी रहता है, आज भी सामाजिक व्यवस्था में निर्णायक, निर्धारक के रूप में पितृसत्ता प्रभावी है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं में भी विद्यमान रहती हैं और शायद पुरूषों से अधिक भी हो क्योंकि उनमें भी पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा होती है जो किसी न किसी रूप व्यक्ति को बालिका भ्रूण वध को प्रेरित करता है।

दहेज व कमजोर आर्थिक स्थिति

समाज में प्रत्येक माता–पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री को अच्छा नौकरी लगा हुआ या व्यावयसाय करता हुआ धनाढ़य परिवार का वर मिले। इसकी प्राप्ति हेतु वधु पक्ष द्वारा वर को दहेज में अच्छी बड़ी गाड़ी, मोटर, मकान, दुकान एवं मोटी रकम, आदि देने की व्यवस्था होती है। इस बेकारी व महगाई के जमाने में जहां पये का अवमूलन हुआ है एक निर्धन परिवार के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है वहां यदि अपनी लडकी का विवाह दहेज देकर करना पडे उसके लिए यह कांटों से युक्त राह होगी ऐसे में एक परिवार चाहकर भी लडकी को प्यार तो दूर जन्म देकर पालन पोषण करना भी पसन्द नहीं करता है।

परम्परागत रीति–रिवाज एवं अन्धविश्वास

भारतीय सामाजिक व्यवस्था प्रथा, परम्परा, रीति–रिवाजों एवं विश्वासोंपर आधारित व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं कि व्यक्ति चाहकर भी इस चंगुल से निजात नहीं पा सकता है इस प्रकार अनेक सामाजिक मान्यताएं हैं जो हमें बालिका भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित करती हैं।

स्त्रियों को पराया धन मानना

माता–पिता एक लड़की का पालन–पोषण अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कर भी देते हैं परन्तु एक बात सदैव उनके मन में रहती है कि आज हम जिस पेड को पाल–पोसकर बडा कर रहे हैं वह जब प्रतिफल देने वाली होगी एक दिन पितृवंशीय परिवार की भेंट चढ जायेगा तथा प्रतिफल इस जन्ममूलक परिवार की बजाय प्रजनन मूलक परिवार को प्राप्त होगा। एक पुत्री का पालन–पोषण ही इस मानसिकता के साथ किया जाता है कि यह पराया धन है अतः लड़की की अपेक्षा लड़के के पालन पोषण पर अधिक बल दिया जाता है।

लडकियों के सुरक्षा की आवश्यकता

समाज की मान्यता है कि लड़के की अपेक्षा लड़की को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है, समाज में विपथगामी व्यवहार करने वाले लोगों की निगाहें उन्हें सदैव गिद्द की भांति नौचनें के लिए तत्पर रहती हैं वर्तमान समय में होने वाले यौन अपराधों के भय से भी लड़कियों के जन्म के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ा है।

सत्ता, वंशनाम, सम्पत्ति का उत्तराधिकार

सामाजिक व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष के मध्य नजर पारिवारिक ''सत्ता, परिवार का वंशनाम, सम्पत्ति का उत्तराधिकार''[7] आदि मुख्यतः पिता से पुत्र को हस्तानान्तरित होते हैं। इस दृष्टिकोण से समाज महिलाओं के प्रति कम रूचि रखता है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-2* October- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पितृस्थानीय परिवार

परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में स्त्री विवाह के उपरान्त पितृपक्ष अर्थात पुरूष के घर जाकर रहेगी ''पितृस्थानीयपरिवार''[8] कहलाता है। इस व्यवस्था के कारण वर पक्ष द्वारा वधु व वधु पक्ष का सदैव शोषण किया जाता है जिसके कारण वधु और वधु पक्ष अपने आपको उनके नियन्त्रण में मानते हैं।

मोक्ष प्राप्ति की लालसा

भारतीय समाज में लोग मोक्ष में विश्वास करते हैं जिसके लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति विवाह नामक संस्था में बन्धकरयौनपरक उत्पादकता के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति करे, व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पुत्र द्वारा पिण्डदान एवं तर्पण किया जाये तो व्यक्ति पितृ से उऋण होगा एवं मोक्ष की प्राप्ति करेगा।

चिकित्सकों का लालच

चिकित्सक मोटी रकम एंठने के चक्कर में बालिका भ्रूण की पहचान कर चिकित्सीय प्रविधि से हत्या को अन्जाम देते हैं।

लच्चर प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था

प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था के ढीलेपन ने लोगों के मन से अपराध के भय को बाहर निकाल फैंका है। पहले तो इस प्रकार के कार्य इनकी नजर के सामने होते हैं परन्तु जब कभी बडा दबाब आता है तो इनके द्वारा कोई छोटी मोटी कार्यवाही की जाती है।

कन्या भ्रूण हत्या के दुःष्परिणाम

आज बालिका भ्रूण वध के तीव्र गति से बढ़ने के कारण समाज अव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। समाज की अन्धविश्वासी परमराएं व दकियानूसी मान्यताओं के आगे लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं व मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। इसी का परिणाम है कि

''17 अक्तुबर, 2017 को राजस्थान के उदयपुर जिले के सकरोडा गांव मे एक महिला ने परिवार के दबाब में आकर अपनी दो वर्ष की पुत्री की हत्या कर दी जिसका मूल कारण उसके पहले से तीन पुत्रियों का होना है।''[9]

''13, जुलाई, 2012 को जयपुर रेल्वे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर एक नवजात बालिका मिली, इसी प्रकार पाली के ओद्यागिक क्षेत्र इलाके में भी कपडे मे लिपटी राती हुई एक बालिका बरामद हुई।''[10]

''27, मार्च, 2012 को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में एक नवजात बालिका को गड्डा खोदकर दबाया हुआ था जिसे कुत्तों द्वारा बाहर निकाल कर नोचा जा रहा था।''[11]

उपर्युक्त घटनाएं तो मात्र एक बानगी है इसके अलावा भी बालिका भ्रूण थेली में लिपटा हुआ, तो कहीं झाड़ियों, नालियों, सड़क किनारे कुत्तों द्वारा नौचा हुआ लोगों की मानक शून्यता की गाथा गाता है। मानवता को शर्मसार करती यह घटनाएं मानवीय संवेदनाओं की शून्यता की कहानी बयां कर रहे हैं। मानव शायद बालिका भ्रूण वध के दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं जानता है। बालिका भ्रूण वध के कारण समाज में लिंगानुपात असन्तुलित हो जाता है।

असन्तुलित लिंगानुपात

भारतीय जनगणना 1971 से 2011 तक भारत में 0–6 व 6 आयु वर्ग से ऊपर के लिंगानुपात में अत्यधिक असन्तुलन दिखाई देता है।

इस असन्तुलित लिंगानुपात को निम्न तालिकाओं में देखा जा सकता है –

तालिका–3

भारतीय जनगणना 1971 से 2011 तक भारत में0–6 व 6 आयु वर्ग से ऊपर का लिंगानुपात

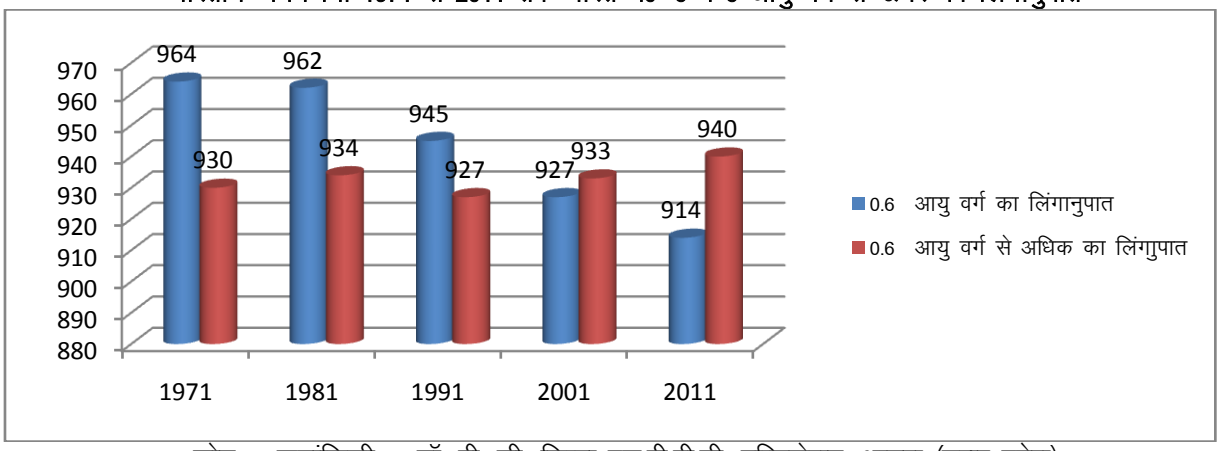

स्रोत – जनांकिकी – डॉ. वी. सी. सिन्हा एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, आगरा (उत्तर प्रदेश)
– जनगणना 2011 के अनुसार

2001 से 2016 के मध्य राजस्थान में बाल लिंगानुपात

इस काल में एक बार तो लिंगानुपात बहुत नीचे चला गया था हांलाकि 2016 के आंकड़े कुछ सुखद अनुभव प्रदान करते हैंलेकिन यह अपर्याप्त है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-2* October- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका–4

2001 से 2016 राजस्थान में बाल लिंगानुपात

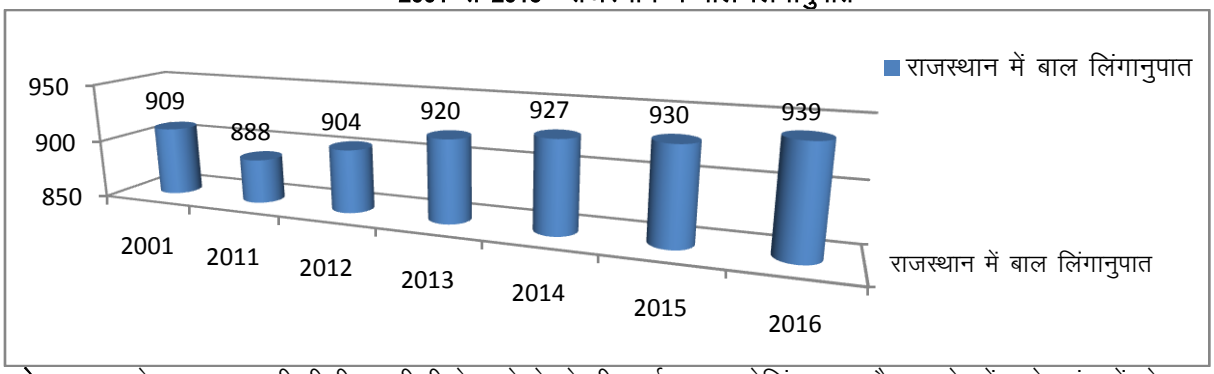

स्रोत–2012 से 2016 तक पी.सी.पी.एन.डी.टी.सेल के प्रेगनेन्सी चाईल्ड एव ट्रेकिंग एण्ड हैल्थ मनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार

राजस्थान में बाल लिंगानुपात की परिवर्तित स्थिति 2010–11 से 2016–17

राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर व कोटा में पूर्व की तुलना में बाल लिंगानुपात तीव्र गति से घटा है।

तालिका–5

2010–11 से 2016–17 के मध्य राजस्थान में तीव्र गति से बाल लिंगानुपात घटने वाले जिले

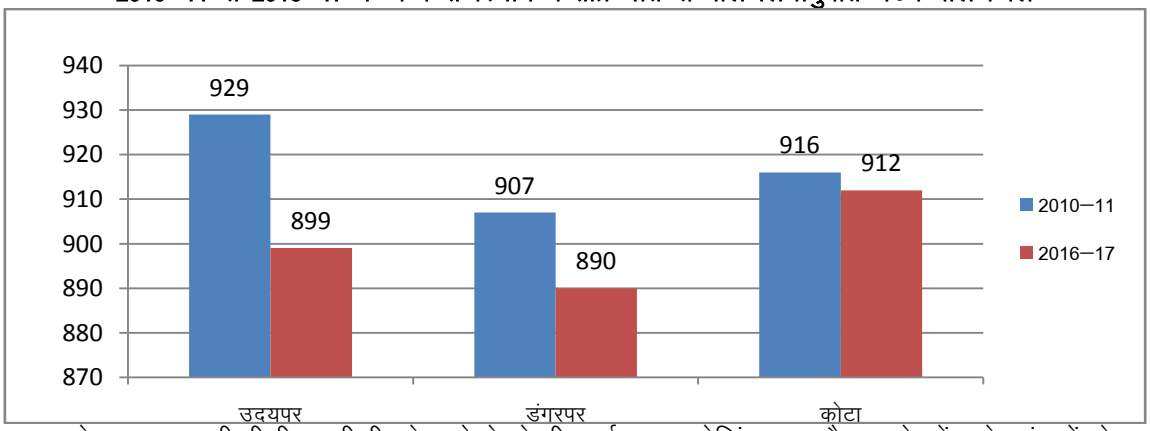

स्रोत–2012 से 2016 तक पी.सी.पी.एन.डी.टी. सेल के प्रेगनेन्सी चाईल्ड एव ट्रेकिंग एण्ड हैल्थ मनेजमेंट के आंकड़ों के अनुसार

अपराधों में वृद्धि

बालिका भ्रूण वध के दूरगामी परिणाम अत्यधिक भयानक है। समाज में असन्तुलित लिंगानुपात के साथ–साथ बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, हिंसा, यौन उत्पीडन आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। जिसे निम्न तालिका के माध्यम से देखा जा सकता हैं –

तालिका–6

भारत में 2010 से 2014 तक बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, हिंसा, यौन उत्पीड़न

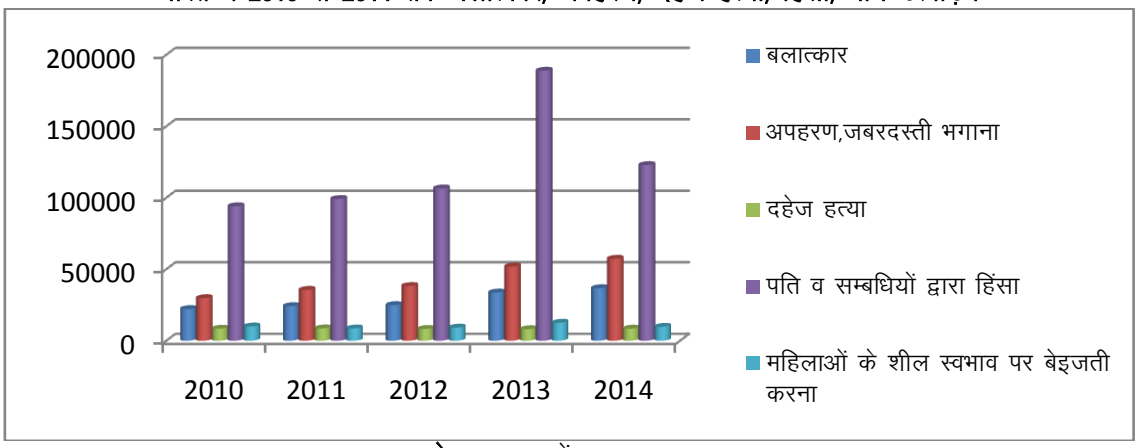

स्रोत– भारत में अपराध, 2014

उपर्युक्त के अतिरिक्त मानव की अनेक आवश्यकताएं यथा मानसिक व शारीरिक भी होती है असन्तुलित लिंगानुपात के कारण व्यक्ति पहले संस्थागत साधनों से तत्पश्चात असंस्थागत साधनों के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता हैं परिणति उपर्युक्त अपराधों के रूप में देखने को मिलती हैं।

बालिका भ्रूण वध की दर इसी तरह बढती रही तो समाज में बहुपति विवाह प्रथा, विवाह केन्द्र, विवाह डीलर तथा चुनावों में विवाह करवाने हेतु चुनाव घोषण पत्र में तुम हमें वोट दो हम तुम्हें पत्नी देंगे' ''हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कुंवारा नहीं रहेगा'' जैसे तत्व जोड़े जाएंगे जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी।' कन्या भ्रूण हत्या के कारण बाल शोषण, निकटाभिगम भी देखने को मिलेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बार–बार गर्भपात से दुष्प्रभाव पडेगा। यौन सम्बन्धों का अत्यधिक घृणित स्वरूप 'गे' और 'लिस्बेन' सामान्य रूप में देखने को मिलेगा। सरकारी स्तर पर सम्भवतया वेश्यावृत्ति को स्वीकृति देनी पड़ सकती है।

बालिका भ्रूण हत्या को रोकने हेतु सुझाव

बालिका भ्रूण वध ने सम्पूर्ण समाज में अपराध एवं अव्यवस्थाओं में वृद्धि की हैं। इस समस्या ने समाज में दीमक का काम कर समाज को खोखला कर दिया है अतः इस समस्या से छुटकारा मिलना चाहिए इसके लिए समाज को चाहिए कि –

1. पितृसत्ता रूपी मानसिकता में परिवर्तन।
2. समाज में फैली कुरीतियों यथा दहेज, ऋण एवं मोक्ष प्राप्ति की सोच का अवमूलन।
3. स्त्री–पुरुष के मध्य लिंगभेद से मुक्ति।
4. स्त्री–पुरुष समानता, स्वतन्त्रता एवं सुविधाओं पर बल
5. कठोर कानूनीव प्रशासनिक व्यवस्था।
6. इलेक्ट्रोनिक एवं पिंट मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
7. इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा गर्भपात की निर्दयतापूर्ण सम्पूर्ण प्रक्रिया को लोगों को दिखाया जाना चाहिए।
8. स्कूलों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कन्या भ्रूण वध के बिन्दु को सम्मिलित किया जाए।
9. शिक्षकों द्वारा कन्या वध के सन्दर्भ में बच्चों को शिक्षा।
10. मां को इस कार्य की भयावह स्थिति से अवगत कराया जाए।
11. मनोवृति में परिवर्तन।
12. महिलाविहीन परिवार और पुरूष का अस्तित्व।
13. महिलाओं को आर्थिक संबलता।
14. पुत्र ही क्यों पुत्री क्यों नहीं हो परिवार की उत्तराधिकारी।
15. स्त्री की तुलना पुरूष की बजाय मानवता से हो।
16. महिलाओं को वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
17. कुप्रथाओं के विरोध में विषाल जनजागरण अभियान।

इस प्रकार एक माँ जो स्वयं स्त्री होती है वह कैसे स्वयं अपने शरीर के अंश को खत्म करने में सहयोग कर सकती है। परन्तु है सास द्वारा बहु पर अत्याचार और माँ द्वारा बेटी की हत्या आदि, जो कि स्त्री विरोधी नजरिया है जो एक औरत को औरत का दुशमन बना देता है। यह पस्थितियां केवल निर्धन परिवार तक ही सीमित नहीं है वरन अमीर परिवारों में भी देखा जा सकता है। उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखा जाए तो बालिका भ्रूण वध को बहुत हद तक कम किया जा सकता है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रह जायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. *अल्तेकर, ए.एस.: हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इण्डिया',एम. बी.डी.,बनारस, पृ. 15*
2. *हीबर, बीसप, नैरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ इण्डिया, खण्ड द्वितीय,पे. 88,*
3. *सिंह,वी.एन एवं सिंह,जनमेजय : 2010, आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण,रावत पब्लिकेशन,जयपुर।*
4. *वर्मा, भावना एवं दीक्षित,ध्रुव कुमार : 2010, घरेलू हिंसा': समस्या एवं समाधन,अमन प्रकाश, सागर म.प्र।*
5. *जैन, अरविन्द : 2000, औरत अस्तित्व और अस्मिता, सारांश प्रकाशन, दिल्ली।*
6. *राजस्थान जनगणना, 2011*
7. *वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा : 2011, भारतीय समाज, पंचशील प्रकाशन,जयपुर पे. 189*
8. *वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा : 2011, भारतीय समाज, पंचशील प्रकाशन,जयपुर पे. 188*
9. *दबाब में आकर महिला ने अपनी पुत्री की हत्या की, न्यूज हेड लाईन्स, न्यूज 18, 27, अक्तुबर, 2017*
10. *दो नवजात बालिकाएं मिली जिनमें से एक रेल्वे ट्रैक पर दोनों की मृत्यु हुई, इण्डिया न्यूज डॉट कॉम,14, जुलाई,2012*
11. *नवजात बालिका कचरा पात्र में मिली,एन.डी.टी.वी.,28 मार्च, 2012*